फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता
डीजी परिपत्र संख्या - 49 /2015

जगमोहन यादव
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जुलाई 07 ,2015

विषय : पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराधों को विशेष आख्या अपराध की श्रेणी के अर्न्तगत रखते हुए कार्यावाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय,

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराध की सूचना थाने पर पंजीकृत होने के उपरान्त उन्हे विशेष आख्या अपराध(Special Report Case) मानकर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना प्रेषित करते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है। किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध (Special Report Case) की श्रेणी में रखने का उद्देश्य यह है कि इसकी विवेचना गहनता से किये जाने के साथ-साथ विवेचना का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एवं गहराई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करते हुए विवेचक का सही मार्गदर्शन किया जाय, जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके और अपराधियों को दण्डित कराया जा सके।

वर्तमान समय में विशेष आख्या श्रेणी के अपराधों की श्रेणी एवं संख्या बहुत अधिक हो गई है, और प्रायः प्रत्येक प्रकरणों में इन अपराधों को विशेष आख्या एवं क्रमागत आख्या परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के अतिरिक्त जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को भी प्रेषित की जा रही है। विभिन्न अपराधों की गुरूता, गम्भीरता, आयाम एवं विस्तार में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। काफी समय से यह महसूस किया जा रहा है कि विशेष आख्या अपराध एवं क्रमागत आख्यायें किस स्तर के अधिकारियों को प्रेषित की जाये, इसे स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया जाये। इस सम्बन्ध यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि इस विषय पर मुख्यालय स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले परिपत्रों में कार्यवाही के विन्दु पर स्थिति स्पष्ट नही है एवं अधिकारियों के समक्ष असमंजस एवं भ्रम की स्थिति बनी हुई है। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस विषय में पूर्व में निर्गत परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुए पुनः इंगित अपराधों को विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में रखते हुए सम्बन्धित अधिकारियों/प्रकोष्ठों को भेजी जायेंगी -

1 डकैती
2 एक लाख अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति की लूट ।
3 डकैती अथवा लूट के वे अपराध जिनमें कोई आग्नेय शस्त्र लूटा गया हो ।

4 बैंक अथवा पोस्ट आफिस में लूट अथवा बैंक/पोस्ट आफिस का धन, बैंक/पोस्ट आफिस से दूसरे बैंक/पोस्ट आफिस में पहुंचाये जाते समय रास्ते में हुई लूट अथवा डकैती ।

5 हत्या, बलात्कार, बलवा एवं आगजनी के ऐसे अपराध जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति पीड़ित हों ।

6 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध ।

7 हत्या के समस्त अपराध ।

8 दहेज मृत्यु के अपराध ।

9 दण्ड विधान संशोधन अध्यादेश 2013 में वर्णित यौन हमला(धारा 375 भादवि में जैसा परिभाषित किया गया है) के समस्त अपराध।

10 एसिड अटैक(भा0द0वि0 326ए) से सम्बन्धित प्रकरण।

11 पुलिस अभिरक्षा से किसी अभियुक्त के पलायन का अपराध ।

12 विधि विरूद्व भीड़ पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग की ऐसी घटनायें जिनमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुयी हो या गंभीर रूप से घायल हुआ हो अथवा राजकीय सम्पत्ति की क्षति हुयी हो ।

13 पुलिस मुठभेड़/जनता मुठभेड़ में किसी अपराधी की मृत्यु ।

14 विद्युत ट्रान्सफार्मर/तार चोरी ।

15 03 लाख रूपये से अधिक मूल्य के सम्पत्ति की चोरी/नकबजनी ।

16 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य का गबन/धोखाधड़ी ।

17 अन्य कोई अपराध, जिसमें लोकहित में अथवा किसी शिकायत आदि के आधार पर परिक्षेत्र में अथवा परिक्षेत्र के किसी जनपद में स्थानीय अपराधिक परिस्थितियों के आधार पर परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक स्वयं विशेष आख्या/क्रमागत आख्यायें प्राप्त कर अनुश्रवण करना उचित समझे ।

18 फिरौती हेतु अपहरण के समस्त अपराध।

19 ऐसे अपहरण जिनमें अपहृर्त की बरामदगी 45 दिनों के अन्दर सुनिश्चित न की जा सकी हो तो ऐसे सभी प्रकरणों को विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में रखा जायेगा।

20 रोड होल्ड अप के अपराध ।

21 शस्त्र/गोला बारूद की दुकान की लूट/डकैती ।

22 पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामलें ।

अतः इस सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं। किसी विशेष आख्या अपराध के घटित होने की स्थिति में विशेष आख्या (एस0आर0) तो प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सभी सम्बन्धित को भेजी जाय परन्तु इनके अनुश्रवण हेतु क्रमागत आख्या (सी0आर0) निम्न अनुसार भेजी जाये -

निम्न प्रकार के अपराधों में क्रमागत आख्यायें परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक तक भेजी जाय :-

- डकैती अथवा लूट जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो ।
- पॉच लाख अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति की लूट अथवा डकैती ।
- डकैती अथवा लूट के वे अपराध जिनमें कोई आग्नेय शस्त्र लूटा गया हो ।
- बैंक अथवा पोस्ट आफिस में लूट अथवा बैंक/पोस्ट आफिस का धन, बैंक/पोस्ट आफिस से दूसरे बैंक/पोस्ट आफिस में पहुंचाये जाते समय रास्ते में हुई लूट अथवा डकैती ।
- हत्या अथवा बलात्कार अथवा बलवा अथवा आगजनी के ऐसे अपराध जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति पीड़ित हों ।
- गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध ।
- हत्या के समस्त अपराध ।
- दहेज मृत्यु के अपराध ।
- दण्ड विधान संशोधन अध्यादेश 2013 में वर्णित यौन हमला(धारा 375 भादवि में जैसा परिभाषित किया गया है) के समस्त अपराध।
- एसिड अटैक से सम्बन्धित प्रकरण।
- पुलिस अभिरक्षा से किसी अभियुक्त के पलायन का अपराध ।
- किसी पुलिस जन के विरूद्व दर्ज कोई भी विशेष आख्या अपराध ।
- विधि विरूद्व भीड़ पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग की ऐसी घटनायें जिनमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुयी हो या गंभीर रूप से घायल हुआ हो अथवा राजकीय सम्पत्ति की क्षति हुयी हो ।
- पुलिस मुठभेड़/जनता मुठभेड़ में किसी अपराधी की मृत्यु ।
- विद्युत ट्रान्सफार्मर/तार चोरी ।
- 03 लाख रूपये से अधिक मूल्य के सम्पत्ति की चोरी/नकबजनी ।
- 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य का गबन/धोखाधड़ी ।
- किसी ऐसे घोषित ईनामी अपराधी द्वारा घटित किया गया कोई विशेष आख्या अपराध जिसकी गिरफतारी पर पूर्व से पुलिस उप महानिरीक्षक अथवा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया हो।
- अन्य कोई अपराध, जिसमें लोकहित में अथवा किसी शिकायत आदि के आधार पर अथवा परिक्षेत्र में अथवा परिक्षेत्र में किसी जनपद में स्थानीय अपराधिक परिस्थितियों के आधार पर परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक स्वंय विशेष आख्या/क्रमागत आख्यायें प्राप्त कर अनुश्रवण करना उचित समझे ।

- पुलिस महानिरीक्षक जोन्स को भेजे जाने वाले समस्त प्रकार के विशेष आख्या अपराध ।

<u>पुलिस महानिरीक्षक जोन्स को निम्न मामलों में क्रमागत आख्यायें भेजी जाय :-</u>

- फिरौती हेतु अपहरण के समस्त अपराध ।
- ऐसे अपहरण जिनमें अपहृर्त की बरामदगी 45 दिनों के अन्दर सुनिश्चित न की जा सकी हो।
- रोड होल्ड अप के अपराध ।
- शस्त्र/गोला बारूद की दुकान की लूट/डकैती ।
- ऐसी हत्या की घटना जिसका साम्प्रदायिक रूप हो ।
- ऐसी हत्या की घटना जिसमें 3 अथवा 3 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुयी हो।
- डकैती एंव लूट के ऐसे मामलें जिनमें 5 लाख अथवा उससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति लूटी गयी हो अथवा 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुयी हो।
- किसी लोकसेवक की कर्तव्यपालन के दौरान हुयी हत्या की घटना ।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामलें ।
- अन्य कोई अपराध, जिसमें लोकहित में अथवा किसी शिकायत आदि के आधार पर जोन में/जोन के किसी परिक्षेत्र में/जनपद में अपराधिक परिस्थितियों के आधार पर जोनल पुलिस महानिरीक्षक स्वयं विशेष आख्या व क्रमागत आख्यायें प्राप्त करना उचित समझे ।

ऐसे अपराध जो पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 के अनुसार अथवा इस परिपत्र में इंगित किये गये है, उन अपराधों में विशेष आख्यायें प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सभी सम्बन्धित को भेजी जाती रहेगी, परन्तु उनमें क्रमागत आख्या का अनुमोदन जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी द्वारा करने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन अथवा परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तथापि यदि किसी विशेष आख्या अपराध की क्रमागत आख्या किसी अन्य प्रकोष्ठ (जैसे-दहेज हत्या के अपराध में महिला प्रकोष्ठ) को भेजने हेतु प्रक्रिया है तो तदनुसार भी कार्यवाही की जाती रहेगी। इन अपराधों का अनुश्रवण करने की जिम्मेदारी मुख्यतः जनपद के पुलिस प्रमुख की होगी। परन्तु जोनल पुलिस महानिरीक्षक एंव परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, जनपदीय निरीक्षण/ भ्रमण के समय ऐसे विशेष आख्या अपराध जिनका अनुश्रवण उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, में से कुछ अपराधों से सम्बन्धित पत्रावलियों की भी समीक्षा नियमित रूप से करेगें। अनुपालन में लापरवाही पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए इस मुख्यालय को भी अवगत

करायेगें। इसी प्रकार HCMS में अंकित होने वाले समस्त विशेष आख्या अपराध में पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र एवं पुलिस महानिरीक्षक जोन अपने स्तर से निर्देश अंकित करेगें।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सुनिश्चित कराये कि समस्त विशेष आख्या अपराध की पत्रावलियॉ पुलिस उपाधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक(उन अभियोगों में जिनके विवेचक राजपत्रित अधिकारी हैं) द्वारा स्वयं सम्पादित किया जायेगा तथा विवेचक का सही मार्ग दर्शन करने हेतु यथोचित निर्देश दिये जायें। समस्त क्रमागत आख्याओं का प्रतिमाह अनुमोदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा ही किया जाये। इसी प्रकार परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा भी प्रत्येक माह नियमित रूप से विशेष आख्या अपराधों का अनुश्रवण करते हुए अधीनस्थों को समुचित दिशानिर्देश निर्गत किये जायें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

7/7/15

(जगमोहन यादव)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद
<u>उत्तर प्रदेश</u>।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।